महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – तेतालीसवां संस्करण (माह फरवरी, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
5. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
6. ग्रामीण भारत में कृषि कैसे बने लाभ का व्यवसाय
7. केस स्टडी – श्रीमती आशा दाहिया

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का तेतालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण संस्थान में **''माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996''**, **''राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल''**, **''ग्रामीण भारत में कृषि कैसे बने लाभ का व्यवसाय''**, **''केस स्टडी – श्रीमती आशा दाहिया''** आदि विभिन्न विषयों पर भी आलेखों को इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 01 जनवरी 2019 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने एवं नल–जल योजना में लगेंगे स्मार्ट मीटर
मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश

हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान के आधार पर ही ग्राम पंचायत का सुनियोजित विकास हो। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही।

नल–जल योजना में लगेंगे स्मार्ट मीटर

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण नल–जल योजनाओं में स्मार्ट मीटर लगेंगे। इनकी रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम में दर्ज होगी। इसके बिल भी ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। इससे विद्युत बिल जमा नहीं होने से नल–जल योजनाएँ बंद नहीं होगी।

श्री पटेल ने कहा कि जिस अधिकारी के पास जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन जनहित में करें। आपका काम ग्राउण्ड लेवल पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सुविधा जिसके लिए है, उसको मिलना सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गुणवत्ता पूर्ण कार्य करवाये जायें। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायें। उन्होंने कहा कि शौचालय गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका भुगतान समय पर किया जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश अव्वल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर आने पर बधाई दी। मध्यप्रदेश में 14 लाख 29 हजार 84 के लक्ष्य के विरूद्ध 11 लाख 90 हजार 823 आवास बनाये जा चुके हैं। इस तरह से 83.33 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है, जो अन्य प्रदेशों से अधिक है।

श्री पटेल ने आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि संस्थाएँ जिस उद्देश्य को लेकर बनायी गयी हैं, उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में मिशन का कार्यालय होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि 159 विकासखण्ड में भवन बनाये जा रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा कि जिन जिलों में वर्षा कम हुई है, वहाँ के गाँवों में पेय–जल आपूर्ति के लिए पहले से प्लान बनायें। निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य समय–सीमा में पूरा करें।

संभाग स्तर पर पंच–सरपंच सम्मेलन

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि संभाग स्तर पर पंच–सरपंच सम्मेलन जल्द करवाये। अपर मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्रों में स्मार्ट क्लास–रूम बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाता है। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री अमित राठौर, संचालक वाल्मी श्रीमती उर्मिला शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सौजन्य से जनसंपर्क विभाग,
मध्यप्रदेश शासन वेबसाईट

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01.01.2019 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा–

1.1 **मजदूरी सामग्री अनुपातः**– जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 रखा जाना है किन्तु दिनांक 05.01.2019 की स्थिति में जिला ग्वालियर में 45:55, अलीराजपुर में 47:53, भिण्ड में 48:52, नीमच में 51:49, शिवपुरी में 55:45, टीकमगढ़ में 55:45, रतलाम में 56:44, राजगढ़ में 57:43, मुरेना में 57:43, धार में 57:43, अनुपात एमआईएस प्रदर्शित हो रहा है। इन सभी जिलों को 45 दिनों के भीतर मजदूरी बाहुल्य कार्यो को प्राथमिकता देते हुये 60:40 की सीमा में लाए जाने के निर्देश दिये गये।

1.2 **अपूर्ण कार्यः**– वर्तमान में प्रदेश में 7.43 लाख कार्यो में से 1.54 लाख कार्य ऐसे हैं जिनमें स्वीकृति के बाद कोई भी व्यय एमआईएस में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अतएव जीरो व्यय के कार्यो को समीक्षा कर व्यय सुनिश्चित करें अथवा उनको बंद करें।

1.3 जिन जिलों में जीरो व्यय के कार्यो की अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हुई है यथा–जिला छतरपुर, नीमच, डिण्डौरी, आगर–मालवा, धार, सागर, भोपाल, उज्जैन, उमरिया, दतिया, श्योपुर एवं सीहोर के कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को इसे गंभीरता से लेकर कम करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.4 जिला सागर एवं उमरिया के कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे के द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि इस दिशा में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अनभिज्ञता एवं समाधानकारक उत्तर न देने के कारण उन्हें आगामी व्हीसी के पूर्व 100 कार्यो का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देशित किया गया। अगले चार सप्ताह तक कम से कम सौ कार्यो का निरीक्षण प्रति सप्ताह कर प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी फॉलोअप करेंगे और यदि उनके जिले के कार्यपालन यंत्री कार्यो में रूचि नहीं लेते हैं तो इसकी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को देंगे। वह आगामी व्हीसी में उपस्थित रहेंगे।

1.5 दिनांक 28.11.2018 को केवल सामग्री मद से व्यय प्रदर्शित करने वाले प्रदेश के कुल 8,181 कार्यो की समीक्षा संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करें। इन कार्यो को एक सप्ताह में न्यूनत्तम किये जाने के निर्देश दिये गये। निम्न जिलों में सबसे अधिक कार्य केवल सामग्री पर व्यय पाया गया हैः– अलीराजपुर 885, श्योपुर 794, धार 560, सागर 487 हैं।

1.6 प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं पूर्व के 9,647 कूप निर्माण के कार्य शेष हैं जिनमें जिला बड़वानी 999, झाबुआ 925, पन्ना 604, बैतूल 716 एवं छतरपुर 643 सर्वाधिक अपूर्ण कार्य वाले जिलों है। वर्ष 2016–17 में सबसे अधिक संख्या में कूप निर्माण के अपूर्ण कार्य–मण्डला 1119, सागर 1399, सिवनी 1264, खरगोन 1013, धार 877 अपूर्ण हैं। सभी जिले अपूर्ण कूप के कार्य फरवरी, 2019 तक पूर्ण करें।

1.7 वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं पूर्व के अपूर्ण कार्य, 2016–17 के अपूर्ण कार्य एवं 2017–18 के अपूर्ण कार्यो की समीक्षा में नीचे दर्शाये गये जिलों में प्रगतिरत कार्य अत्यंत अधिक हैंः–

वित्तीय वर्ष 2015–16		वित्तीय वर्ष 2016–17		वित्तीय वर्ष 2017–18	
जिला	प्रगतिरत कार्य	जिला	प्रगतिरत कार्य	जिला	प्रगतिरत कार्य
धार	2871	सागर	5848	खरगौन	15337
बड़वानी	1465	मण्डला	5569	सागर	15145

वित्तीय वर्ष 2015–16		वित्तीय वर्ष 2016–17		वित्तीय वर्ष 2017–18	
जिला	प्रगतिरत कार्य	जिला	प्रगतिरत कार्य	जिला	प्रगतिरत कार्य
झाबुआ	1374	रीवा	5173	सिवनी	11195
छतरपुर	1203	छतरपुर	5072	रीवा	11093
छिंदवाड़ा	1142	शहडोल	4829	देवास	10355
उमरिया	1082	धार	4412	छतरपुर	9792
बैतूल	1069	शिवपुरी	4109	धार	9724
देवास	1062	सतना	3689	मण्डला	9375
खरगौन	1039	रायसेन	3577	खण्डवा	8954
सागर	1023	छिंदवाड़ा	3465	राजगढ़	8039
				सतना	8009
				छिंदवाड़ा	7944
				जबलपुर	7375

1.8 निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015–16 एवं उसके पूर्व के कार्यो को 31 जनवरी तक, वर्ष 2016–17 के कार्यो को 28 फरवरी तक एवं वर्ष 2017–18 के कार्यो को 31 मार्च 2019 तक कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विशेष रूप से समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्णता सुनिश्चित करें।

1.9 **लेबर नियोजन** में राज्य स्तर 15 दिवस में 07 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिन जिलों ने विगत 15 दिवस में 08 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है, उनकी प्रशंसा की गई। आगामी 8 सप्ताह तक प्रति सप्ताह सभी जिलों को 08 प्रतिशत से अधिक प्रगति रखने के निर्देश दिए गए।

1.10 **PMAY & NREGA Soft में अंतरः**– प्रधानमंत्री आवास में कार्य पूर्ण होने या अन्य कारणों से 90 दिवस मस्टररोल जारी होने में तकनीकि समस्या होने पर परिषद को उदाहरण के साथ पूर्ण विवरण भेजे।

1.11 प्रधानमंत्री आवास में कार्य पूर्ण होने पर ही नरेगा साफ्ट में सीसी दर्ज की जाए, जिससे प्रधानमंत्री आवास पोर्टल और नरेगा पोर्टल में सीसी में अंतर न हो।

1.12 **रिजेक्टेड ट्रान्जेक्शन** – जिन जिलों में भुगतान होने के बाद भी फाल्स रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की पुष्टि हुई है वह परिषद को सम्पूर्ण विवरण के साथ जानकारी भेजें। जिला इंदौर, सीहोर, नरसिंहपुर जहां ऐसे फॉल्स रिजेक्शन हैं वह प्रकरण की जानकारी परिषद को भेजें।

1.13 आगामी व्ही.सी में लेबर नियोजन, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन एवं वृक्षारोपण की समीक्षा की जावेगी।

1.14 दिनांक 9 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बारे में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अवगत कराया गया।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के समस्त आवास शीघ्र ही पूर्ण किए जाए। समस्त जिले लॉक्ड आवासों की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक आवास माह जनवरी में पूर्ण किये जावें। लाक्ड आवासों की समीक्षा आगामी व्हीसी में की जावेगी।

2.2 लॉक्ड आवास जो पुनः लॉक्ड हो गए हैं उनके लिए राज्य स्तर पर आवास सॉफ्ट में प्रावधान दिया गया हैं। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी राज्य स्तर पर प्रेषित कर इन्हें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत वर्ष 2018–19 में तृतीय किश्त शत–प्रतिशत जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जिले का एक भी आवास लॉक्ड आवासों की श्रेणी में परिवर्तित न हो। जिन जिलों की तृतीय किश्त कम है वे जिले सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर, छिन्दवाड़ा सिवनी, बालाघाट, गुना, होशंगाबाद यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी व्हीसी के पूर्व तृतीय किश्त 90 प्रतिशत से अधिक जारी हो जाए।

2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही की मृत्यु के प्रकरणों में समस्त, विकासखण्ड समन्वयकों, जिला समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को यह निर्देशित किया जाता है कि इन प्रकरणों में खाता परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।

3. स्वच्छ भारत मिशन–

3.1 एसएलडब्लयूएम अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व प्रचलित कार्य पूर्णता पर हैं, उन्हें आगामी एक माह में डीपीआर अनुरूप कार्य पूर्ण कर मॉडल के रूप में विकसित करें। जिनमें जिलावार पंचायतें हैं– भोपाल (करोंदिया), रायसेन (खरबई, भोजपुर), ग्वालियर (टेकनपुर), मुरैना (रजौदा), देवास (बछखाल), अनूपपुर (डोला, देवहरा), सीहोर (थूनाकलां, पडली, मूडला, माथनी, जहानपुर), शिवपुरी (सिरसोद) आदि।

3.2 5000 से अधिक आबादी एवं स्वकराधान वाली ग्राम पंचायतों में एसएलडब्लयूएम डीपीआर निर्माण के पूर्व शत–प्रतिशत घरेलू सर्वेक्षण हेतु जिलों को स्वच्छता मित्रों (प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 10 तक) का चयन कर सूची दिनांक 16.01.2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि दिनांक 20.01.2019 के बाद उनका प्रशिक्षण कराया जा सके।

3.3 उल्लिखित ग्राम पंचायतों में सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक अथवा आसपास होने की दशा में दो या तीन ग्राम पंचायतों हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति एसएलडब्लयूएम कार्यो के डीपीआर निर्माण एवं कियान्वयन की गतिविधियों को समय–सीमा में पूर्ण कराने हेतु की जाए एवं उनकी सूची दूरभाष नंबर पर सहित राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावे।

3.4 एसएलडब्लयूएम अंतर्गत व्यय राशि की प्रविष्टि एमआईएस में नियमित रूप से दर्ज की जाए।

3.5 गोबरधन अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र प्रारंभ कर 02 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए एवं जिन जिलों में अभी तक डीपीआर निर्मित नहीं हुए हैं, वो आगामी एक सप्ताह में डीपीआर निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे।

4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

4.1 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करें एवं अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराएं।

4.2 सर्वाधिक लंबित शिकायतों वाले जिले सतना, राजगढ़, रीवा, भिण्ड, शिवपुरी, छतरपुर, सिंगरौली, कटनी, शहडोल एवं पन्ना शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण शीघ्र कराएं।

4.3 जिला योजना प्रभारी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण द्वारा राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की शिकायतों का परीक्षण किये बिना ही लगभग 04 माह पूर्व दर्ज निराकरण को पुनः दर्ज कर आंशिक बंद किया गया। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों का पूर्ण परीक्षण कर समुचित एवं सुसंगत निराकरण करांए।

4.4 जनपद पंचायत मानपुर एवं खनियाधाना को शिकायतों के शीघ्र निराकरण एवं जनपद पंचायत, ब्यावरा, मेहगांव एवं जयसिंहनगर वीडियों कान्फ्रेस में उपस्थित नहीं होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को समीक्षा कर निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5. पंचायतराज

''सबकी योजना सबका विकास''

5.1 योजनांतर्गत अनुमोदित GPDP, Plan-Plus Portal पर अपलोड करने के लिए दिनांक 03 जनवरी 2019 को सम्पन्न व्हीसी में भी निर्देश दिए गए थे। आज की व्हीसी में प्रगति न्यूतम होने के कारण पुनः निर्देशित किया जाता है कि आगामी व्हीसी के पूर्व इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए।

5.2 14 वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय हेतु ग्राम पंचायतों में PFMS & Pria Soft अपनाए जाने के संबंध में सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उठाये गये मुद्देः–

जिला	मुद्दे	कार्यवाही
शिवपुरी	पंचायत दर्पण पोर्टल से ईपीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना का अनुदान/मार्जिन मनी बैंकों के खाते में हस्तांतरित नहीं होकर वापस जिला पंचायत के खातों में जमा हो गयी है।	निर्देशित किया गया कि समस्या से संबंधित विस्तृत टीप पंचायतराज संचालनालय को भेजे ताकि एसआरएलएम एवं पंचायतराज संचालनालय द्वारा संयुक्त रूप से निराकरण किया जा सके।
रायसेन	पंत्र कं. 4353 दिनांक 29.08.2018 से नगरीय क्षेत्र में विलय के पश्चात् शेष रहे ग्रामों हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रकाशन की वस्तुस्थिति से संचालनालय को अवगत कराया गया है। निराकरण के अभाव में पंचपरमेश्वर पोर्टल सहित किसी भी अन्य पोर्टल पर पंचायतें प्रदर्शित नहीं हो रही है।	आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय को प्रकरण के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
बेतूल	बेसलाईन सर्वे 2012 से छूटे हुए परिवारों का शौचालय निर्माण 31 जनवरी से पूर्व किए जाने का निर्देश मिला है। किन्तु उसकी राशि प्राप्त नहीं हुई है।	कार्यवाही राज्य स्तर से किए जाने के निर्देश दिए गए।
पन्ना	स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की राशि प्राप्त न होना।	भुगतान की कार्यवाही कर आगामी व्हीसी में अवगत कराए जाने के निर्देश दिए।
सतना/अनूपपुर/शाजापुर	जिला पंचायत के कर्मचारियों का वेतन, आवंटन के अभाव में अभी भी लंबित है।	आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय को निर्देशित किया गया कि यथा शीघ्र आबंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996

अनुसूचित क्षेत्र–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आजादी के बाद भारतीय संविधान में जन जातियों और जनजातीय इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं और छठवीं अनुसूची के तहत् की गई। छठवीं अनुसूची की व्यवस्था सिर्फ ''वृहत्तर असम'' में आने वाले जनजातीय इलाकों के लिये है। उन्हें संविधान में औपचारिक रूप से ''जनजातीय क्षेत्र'' की संज्ञा दी गई है। शेष भारत के जनजातीय इलाकों के लिए पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था है जिन्हें औपचारिक रूप से ''अनुसूचित क्षेत्र'' का नाम दिया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों को **''अनुसूचित क्षेत्र''** नाम इसलिये दिया गया है,क्योकि संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) में इनका वर्णन है। ऐतिहासिक तौर पर इन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को आम कानूनों के सामान्य क्रियान्वयन से दूर रखा गया है ताकि इन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के सामाजिक रीति रिवाजों और परम्परागत प्रथाओं को संरक्षित रखा जा सके ।

पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में राज्य के क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया है। परंतु उसके साथ–साथ राज्यपाल को व्यापक विधायी और प्रशासनिक अधिकारों से सक्षम किया गया है राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हर वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को भेजते हैं।

'पेसा' का महत्व

- विकेन्द्रीकृत स्वशासन का मुख्य उददेश्य गांव के लोगों को स्वयं अपने ऊपर शासन

  करने का अधिकार देना है।

- 'पेसा' ग्रामीण समुदाय को शासन की मूल इकाई के रूप में स्वीकार करता है और पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्तरों पर स्थापना का उल्लेख करता है।

- ग्राम स्तर पर यह ग्रामसभा के गठन का प्रस्ताव करता है।
- ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का चुनाव करती है
- ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को संयुक्त रूप से उपयुक्त स्तर पर पंचायत कहा जाता है।

संविधान की 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में पंचायतराज व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा एक्ट), 1996 एक केन्द्रीय विधान है, देश में इस समय दस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है ये राज्य हैं– **मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचलप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं झारखण्ड** । अनुसूचित क्षेत्रों में एक पूरा जिला या एक जिले के भीतर ब्लॉक या पंचायत या गांव या पटवारी हलका हो सकते हैं । पेसा एक्ट में यह व्यवस्था है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों में कुल स्थानों में से कम से कम 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।

मध्यप्रदेश में पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायत कानून का विस्तार

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाएँ और प्रदेश में पहले से लागू कई कानूनों में जरूरी बदलाव करें ताकि पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 की भवना के अनुरुप अनुसूचित क्षेत्रों को स्वशासन के व्यापक अधिकार मिल सकें। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने प्रदेश पंचायत अधिनियम में जरूरी संशोधन करते हुए अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को स्वशासन के व्यापक अधिकार दिए गए। इसके लिए प्रदेश के –

- भू–राजस्व संहिता और
- आबकारी अधिनियम
- पंचायत राज अधिनियम में जरूरी संशोधन भी किए गए तथा वन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए।

साथ ही, 'पेसा' ग्रामीण समुदाय को गांव के विकास की योजना बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और परंपरागत रीति–रिवाजों और प्रथाओं के तहत विवादों को सुलझाने का अधिकार भी देता है।

पंकज राय
संकाय सदस्य

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

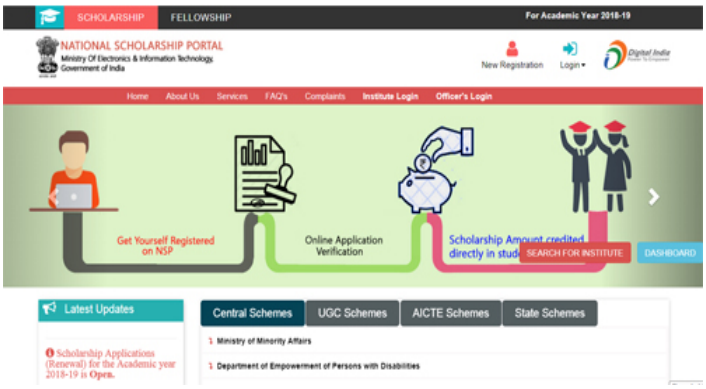

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक वन–स्टॉप (अधिकृत) समाधान है जिसके माध्यम से छात्र आवेदन,आवेदन प्राप्ति,प्रक्रिया,अनुमोदन और छात्रों तक विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण करने जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना (एनईजीपी) के रुप में अपनाया गया है।

दृष्टिकोण

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक वन–स्टॉप(अधिकृत) समाधान है जिसके माध्यम से छात्र आवेदन,आवेदन प्राप्ति, प्रक्रिया, अनुमोदन और छात्रों तक विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण करने जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रवृत्ति आवेदनों के त्वरित एवं कारगर निराकरण के लिए सरलीकृत,लक्ष्यउन्मुख,जवाबदेह उत्तरदायी और पारदर्शी स्मार्ट प्रणाली उपलब्ध कराना है और राशि वितरण को बिना किसी व्यवधान के सीधे लाभग्राहियों के खातों में पहुंचाना है।

मिशन

राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को देशभर में लागू करने के लिए साझा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रदान करना है।

उद्देश्य

- छात्रों में समय पर छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टल उपलब्ध कराना
- विद्वानों का एक स्पष्ट डेटाबेस बनाना
- प्रक्रियागत दोहराव से बचाव
- छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं एवं मानदंडों में सुसंगतता लाना
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के आवेदन(एप्लीकेशन)

- छात्रों के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना
- छात्रवृत्ति से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना
- सभी छात्रवृत्तियों के लिए एकल एकीकृत आवेदन
- बेहतर पारदर्शिता

लाभ

- छात्रों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
- सभी छात्रवृत्ति के लिए सामान्य आवेदन प्रपत्र
- छात्रों की एकबारगी पंजीकरण
- पात्रता मानदंड के आधार पर सिस्टम से छात्रवृत्ति योग्य छात्र की पहचान आसान
- बेहतर पारदर्शिता
- डुप्लीकेट एप्लीकेशन से बचाव
- डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे जारी
- छात्रवृत्ति की प्रक्रिया के हर कदम पर एसएमएस और ई–मेल अलर्ट सेवा
- मांग आधारित नवीनतम सूचनाओं के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम(डीएसएस) के रुप में कार्य करना
- स्केलेबल मंच

एनएसपी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मेरिट–सह–मीन छात्रवृत्ति योजना
- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र योजना के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना
- राष्ट्रीय माध्यम सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना
- माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन
- एससी छात्रों के लिए शीर्ष कक्षा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना
- विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- सिने /मिन / एलएसडीएम / बीईईडीआई / आईओएमसी श्रमिक कल्याण कोष के तहत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए योजना
- एसटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

विभिन्न हितधारकों के लिए प्रस्तावित सेवाएं

छात्र :

- छात्रवृत्ति पात्रता की जाँच
- विद्यार्थी पंजीकरण (नवीन और नवीनीकरण)
- आवेदन ऑनलाइन
- आवेदन स्टेटस ट्रैकिंग
- भुगतान स्थिति की जांच
- शिकायत पंजीकरणधशिकायत की स्थिति
- सूचीबद्ध सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एनएसपी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

संस्थाएं :

- संस्थान पंजीकरण
- पाठ्यक्रम पंजीकरण
- आवेदन सत्यापन
- फॉरवर्ड एप्लीकेशन

राज्य सरकार के विभाग :

- योजनाएं
- डेटा वेरीफिकेशन
- आवेदन प्रोसेसिंग
- फंड रिलीज

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग :

- योजनाएं
- फंड रिलीज
- व्यय निगरानी
- कॉमन एमआईएस

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल आवेदन पत्र :

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति अनुप्रयोगों के तेजी से और प्रभावी निपटान के लिए एक सरल और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है और किसी भी रिसाव के बिना लाभार्थियों खाते में सीधे धन की डिलीवरी प्रदान करता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड द्वारा भरा जा सकता है।

चरण 1– राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2– "नया उपयोगकर्ता" पर क्लिक करें? रजिस्टर करें "बटन, एनएसपी दिशानिर्देश पढ़ें और" जारी रखें "बटन पर क्लिक करें।

चरण 3– अगली स्क्रीन में डोमेसिइल राज्य, छात्रवृत्ति श्रेणी, छात्र का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित पूर्ण विवरण सही ढंग से भरें और "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें। (उपरोक्त चरण के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।)

चरण 4– अपने अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड (पासवर्ड आपकी जन्म तिथि है) का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें और अपना मूल, अकादमिक, संपर्क और योजना विवरण भरें। इस चरण में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5– एक बार आवेदन पत्र भर जाता है और पूरी तरह से पंजीकृत हो जाता है, तो "प्रिंट आउट" बटन का उपयोग करके आवेदन पत्र का प्रिंट लें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

- अधिवास प्रमाणपत्र
- छात्र फोटोग्राफ
- संस्थान सत्यापन फॉर्म
- छात्रों द्वारा आय प्रमाण पत्र की स्वयं घोषणा
- छात्रों द्वारा अल्पसंख्यक सामुदायिक प्रमाणपत्र की स्वयं घोषणा
- पिछली अकादमिक मार्कशीट का स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र
- वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष के लिए शुल्क रसीद
- आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति
- विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- सिने / मिन / एलएसडीएम / बीईईडीआई /आईओएमसी श्रमिक कल्याण कोष के तहत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए योजना
- एसटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

उपरोक्त जानकारी www.scholarships.gov.in से प्राप्त सूचना के आधार पर है

शिव कुमार सिंह,
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

ग्रामीण भारत में कृषि कैसे बने लाभ का व्यवसाय

एक ओर जहां खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है वहीं खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आने वाले वर्षों में खाद्य समस्या से निपटना भी देश के सामने एक चुनौती है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए यह जरूरी है कि कृषि के साथ–साथ उससे जुड़े अन्य घटकों जैसे ग्रामीण विकास की योजनाएं, पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, डेयरी आदि गतिविधियों को आपस में जोड़ा जाए। इसके बगैर खेती को लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित करना संभव नहीं।

प्रत्येक ग्राम का माइक्रोप्लान –

प्रत्येक गांव के विकास के लिये सर्वप्रथम गांव का ग्रामीण सहभागी आंकलन (पीआरए) कर गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एकत्र करना होगा, जिसमें प्रमुखतः गांव में जल की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, गौवंश, दुग्ध उत्पादन, उत्पादित होने वाली प्रमुख फसले, स्कूल, अस्पताल, बाजार, परिवहन सुविधाए, सडके एवं व्यवसायिक गतिविधिया आदि की जानकारी एकत्र कर गांव की आवश्यकताओं एवं उत्पादन के आधार पर गांव का माइक्रोप्लान तैयार कर गांव का विकास किया जा सके। गांव में विभिन्न समितियों का गठन कर किसानों को जोड़ा जाए और उन्हें एक ही तरह की गतिविधि संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

परती भूमि सुधार –

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में साधनों की कमी नहीं है, तकनीकी एवं सामूहिक प्रयासों से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से ना केवल कार्ययोजना बनाई जाए बल्कि अमल में भी लाई जाए। परती भूमि को सुधार कर फसलों की बुआई कराना भी लाभदायक हो सकता है। पर जरूरी यह है कि उन्नत कृषि तकनीक व गांवों का चयन तय समय में किया जाए। रबी हो या खरीफ अभियान, जो भी प्रयास आवश्यक है समय के पूर्व और समन्वित रूप से किए जाए। कार्ययोजना ऐसी हो जो दीर्घकालीन वातावरण का निर्माण करें।

खेत तालाब योजना –

हमारा देश कृषि प्रधान है। देश की उन्नति कृषि की उन्नति से जुड़ी है। उन्नत कृषि तकनीकें ही उन्नति के शिखर पर ले जाएंगी। सिंचाई की समस्या से निजात पाने के लिए खेत तालाब योजना काफी उपयोगी है इसका समुचित लाभ किसानों को मिलना चाहिए। फसलों से जुड़े सभी प्रकार के शासकीय कार्यक्रमों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण व अन्य आदान, जो किसानों को दिलाया जाना है, उसे अभियान के रूप में उपलब्ध कराया जाए। जैविक खेती के प्रति आकर्षण को और बढ़ाना होगा।

तकनीक से उत्पादकता बढ़ाने पर जोर –

कृषि के क्षेत्र में कम समय में कायाकल्प किया जा सकता है। चुनौती तकनीक को खेत में उतारना है। खेती को लाभदायक बनाना केवल कृषि या ग्रामीण विकास विभाग का ही विषय नहीं है, इससे जनप्रतिनिधियों को जोड़ना होगा। ग्राम सभाओं में भी कृषि तकनीक व उक्त विषयों को जोड़ने पर जोर देना होगा। पारंपरिक फसलों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए व्यापक रूप से कार्य करने की जरूरत है। गैर–सरकारी संगठनों का जुड़ाव, जल संसद तथा उत्तम कार्य करने वाले किसानों को

पुरस्कार के संबंध में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। उच्च तकनीक के उपयोग तथा पौधारोपण में वृद्धि कर उत्पादकता बढ़ाई जाए। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के वर्तमान क्षेत्र में वृध्दि करनी होगी। उद्यानिकी के लिए जिलों की कृषि जलवायु तथा स्थानीय संसाधनों के अनुसार कार्ययोजना बने तथा इसे दीर्घकालिक स्वरूप में क्रियान्वित किया जाए।

नरवाई न जलाए –

फसल काटने के बाद बचे हुए फसल अवशेष जलाना खेती के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध हो सकता है। इससे अन्य खेतों में अग्नि दुर्घटना की संभावना तो रहती है, इससे भूमि की उर्वरता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही धुएं से उत्पन्न कार्बन डाई–ऑक्साइड से वातावरण का तापक्रम बढ़ता है और प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। किसानों को बताया जाए कि खेती की उर्वर परत लगभग 6 इंच की ऊपरी सतह पर ही होती है। इसमें तरह–तरह के जीवाणु उपस्थित रहते हैं। नरवाई जलाने से उत्पन्न उच्च तापमान में उपजाऊ मिट्टी की दशा ईंट बनाने की प्रक्रिया की तरह कड़ी और जीवाणु रहित होती जाती है, जो धीरे–धीरे बंजरता की ओर बढ़ने लगती है। फसल अवशेषों और डंठलों को एकत्र कर जैविक खाद जैसे भू–नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने में उपयोग किया जाए तो वे बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते हैं।

कर्ज सदुपयोग प्रशिक्षण –

खेती में पढ़े–लिखे युवाओं की दिलचस्पी को बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि वे व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के साथ ही मसाला व औषधीय पौधों के उत्पादन में रुचि लें। देखा यह गया है कि पढ़े–लिखे लोग खेती में दिलचस्पी नहीं लेते, वे गांवों से पलायन कर रहे हैं। खेती को बचाना है और उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्य संकट से निपटना है तो पढ़े–लिखे लोगों को खेती से जोड़ने के लिए अभियान चलाना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जाए। इसके लिए कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाए तथा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को

क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण में उन्हें खेती के आधुनिक तरीकों से भी अवगत कराया जाए ताकि मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी वे नुकसान में न रहें।

फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा

देश में जिस तेजी से उपजाऊ खेती योग्य भूमि पर कंकरीट के जंगल फैल रहे हैं और प्रापर्टी को कुछ भौतिकवाद में लिप्त लोगों ने व्यवसाय बना लिया है उसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि देश में फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। फ्लैटों की उचित देखरेख और सही रखरखाव के लिए फ्लैट एक्ट बनाया जाना चाहिए। इससे जमीनों की आसमान छूती कीमतों में कुछ कमी आ सकेगी और सभी के लिए घर का सपना साकार करना आसान होगा। साथ ही खेती योग्य भूमि को बंजर बनने से रोका जा सकेगा। एक्ट में यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि कृषि योग्य भूमि पर सिर्फ खेती ही की जाए। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। चूंकि जमीन सीमित है उस पर भी उपजाऊ जमीन का अभाव है, ऐसे में खेती को बचाते हुए सबके लिए आवास का सपना साकार किया जाए। फ्लैट एक्ट बन जाने से बंजर भूमि का उपयोग हो सकेगा और खेती योग्य भूमि पर उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी; खेती की भूमि का व्यावसायिक उपयोग रुकेगा। विकास और मानव बसाहट भी भली प्रकार हो सकेगी। जब मानव बसाहट सही तरीके से होगी तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना अधिक आसान हो जाएगा। उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सकेगा।

एक गांव – एक निशान –

राष्ट्रीय चिन्ह की तरह प्रत्येक गांव और जिले का अपना उत्पाद, फल, पशु–पक्षी और फूल हो और उस उत्पाद पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं। साथ ही उन पहचान चिन्हों पर प्रमुखता से कार्य हो। जब मैं सोचता हूं कि गांवों को कैसे उन्नत बनाया जाए और गांवों से कैसे पलायन रोका जाए तब मेरे मन में यह विचार आता है कि प्रत्येक गांव को उसके

प्रमुख उत्पाद से जोड़ दिया जाए। फिर चाहे उस गांव की पहचान उस उत्पाद से होने लगे तो भी चलेगा। इससे निश्चित ही गांवों की तस्वीर बदलेगी और गांव विकसित हो सकेंगे। इसके लिए हमें जनभागीदारी से आगे बढ़ना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसमें सार्थक भूमिका निभा सकती है।

इस कार्य के लिये सर्वे टीम बनाई जाएगी जो गांवों का अध्ययन करेगी। यह सर्वे टीम गांवों में प्रमुखता से होने वाले उत्पाद और वहां उद्योग की संभावना का पता लगाएगी। इसके बाद उस गांव का प्रमुख उत्पाद निश्चित कर दिया जाएगा। जैसे – अच्छे किस्म के धनिए के लिए कुंभराज, फूलों के लिए पश्चिम बंगाल, सेब के लिए कश्मीर, मसालों के लिए केरल, संतरे के लिए नागपुर, चावल के लिए छत्तीसगढ़, गुड़ और चने के लिए करेली, दलिया वाले गेहूं के लिए गंजबसौदा, रतलामी नमकीन और सूरत का कपड़ा प्रसिद्ध है। ठीक वैसे ही प्रत्येक गांव का अपना उत्पाद होगा और उसी गांव में उस उत्पाद के प्रसंस्करण की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें पूरा गांव एक इकाई के रूप में कार्य कर सकेगा। स्वयं–सहायता समूह और स्वयंसेवी संगठनों की भी इस कार्य में सहायता ली जा सकती है।

गांव के बीचोंबीच, मंडी में या गांव की शुरुआत में निर्धारित पहचान चिन्हों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिनमें पहचान–चिन्हों के संरक्षण, संवर्द्धन और गांव की प्रगति की झांकी होगी। गांववासी अपने उत्पाद की अच्छी छवि के लिए भी कार्य करेंगे। इससे क्षेत्र विशेष और वहां के लोगों की क्षमता, समय और पैसे का उपयोग करते हुए उनमें आपसी सद्भाव और रचनात्मक भावना का विकास किया जाना भी संभव हो सकेगा। इससे गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा, गांव आत्मनिर्भर होंगे, गांवों में समृद्धि आएगी और गांव में फैली कई बुराइयों का शमन भी हो सकेगा।

शोध अनुसंधान की आवश्यकता –

आंकड़ों के बजाय किसानों को वास्तविक और व्यावहारिक लाभ देने की योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाए। भंडारण और फसलोत्तर तकनीक के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी का विस्तार किया जाना जरूरी है। कृषि क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाकर ही क्रान्तिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। कृषि और किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं वह जमीनी हकीकत पर आधारित हो। प्रदेश के विकास की तकदीर और तस्वीर बदलने में ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए परिणाम आधारित कार्यशैली को मजबूत बनाने की जरूरत है। किसानों को शासकीय सहायता के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़े इसके लिए अभियान चलाकर हितग्राहियों का चयन करने और कृषि मेलों के माध्यम से अनुदान उपकरण और सहायता आदि प्रदान किए जाने चाहिए। कृषि विस्तार विकास कार्यक्रमों के साथ ही शोध और अनुसंधान की दिशा में भी प्रयासों की जरूरत है ताकि कीट व्याधि और पाले आदि की समस्याओं का सामना करने में सक्षम प्रजातियों का विकास हो सके। किसानों को समय से और सही खाद, बीज, औषधि और उपकरण प्राप्त हो, इसके लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रबंध किए जाएं। अमानक और नकली कृषि आदानों के विक्रय के प्रकरण मिलने पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

केस स्टडी – श्रीमती आशा दाहिया, सरपंच
ग्राम पंचायत – पौड़ी छपरी, जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

व्यक्तिगत विवरण

- नाम – श्रीमती आशा दाहिया
- पद – सरपंच, ग्राम पंचायत
- उम्र – 27 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता – 11 वीं
- जाति वर्ग – अनुसूचित जाति
- ग्राम पंचायत का नाम – पौड़ी (छपरी)
- जनपद पंचायत का नाम – पाटन
- जिले का नाम – जबलपुर (मध्यप्रदेश)

ग्राम पंचायत की जानकारी

- कुल जनसंख्या – 746
- महिलाओं की संख्या – 340
- पुरूषों की संख्या – 424
- 0 से 6 वर्ष के बालक – 24
- 0 से 6 वर्ष की बालिका – 24
- विधवा महिलाओं की संख्या – 19
- वरिष्ठ नागरिकों की संख्या – 25
- दिव्यागों की संख्या – 8
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम – ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 6 ग्राम आते हैं। पौड़ी, अचलोनी, छपरी, भीटा, पोनिया, धीरखेड़ा।
- ग्राम पंचायत वार्डो की संख्या – ग्राम पंचायत 20 वार्ड आते हैं।
- जनपद पंचायत पाटन की तीसरी बड़ी पंचायत है।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में हरिजन, आदिवासी बाहुल्य है।
- लगभग 70 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।

- पंचायत में माध्यमिक स्तर के शिक्षा की व्यवस्था है।
- हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डी की शिक्षा हेतु लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बोरिया ग्राम के स्कूल में बच्चे जाते हैं।

उल्लेखनीय कार्य

ग्रामों के आवागमन और पानी की उचित निकासी

- जब मैं 4 साल पहले सरपंची का चुनाव जीत कर आई तब हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कच्ची सड़कें थी।
- ग्रामों के आवागमन और पानी की उचित निकासी के लिए चौदहवें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि से हमने कार्य कराये।
- ग्रामों की आन्तरिक सड़कें जो अधूरी रह गई थीं वहां पर सी.सी. रोड़ बनवाई।
- हमने अपने कार्यकाल में पौड़ी, भीटा, पोनिया, अचलोनी एवं छपरी में सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ एवं नाली निर्माण कराया।
- रोड़ के साथ ही साथ पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य कराया।
- ग्रामों में सड़क और नाली बन जाने से गंदगी दूर हुई।
- पानी निकासी होने से बीमारियां कम हुई।
- साफ–सफाई रहने लगी।

आंगनवाड़ी केन्द्र

- हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आंगनवाड़ी के 5 सेन्टर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चल रहे हैं।
- ये सभी आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं और प्राथमिक शालाओं के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

- हमने आंगनवाड़ी भवन बनवाने के प्रस्ताव दिये थे। जिनमें से ग्राम भीटा, अचलोनी एवं छपरी में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन की स्वीकृति मिली है। यहां पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।
- ग्राम पौड़ी एवं पोनिया में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन बनाने का प्रस्ताव ग्राम सभा से भेजा गया है जिनकी स्वीकृति नहीं मिली है।

शासन की जनकल्याणकारी योजना

- शासन की जनकल्याणकारी योजना का सत्त लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
- हमारी ग्राम पंचायत में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, 60 से 79 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन, कल्याणी पेंशन का योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाता है।
- इन योजनाओं से वर्तमान में लगभग 126 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

संबल योजना

- संबल योजना में लगभग 654 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है।
- इस योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्त्येष्टि सहायता एवं सामान्य मृत्यु की दशा में रू. 2.00 लाख एवं दुर्घटना होने पर रू. 4.00 लाख की अनुग्रह राशि अपीलार्थी को दी जाती है।
- इसके अन्तर्गत हमने दो प्रकरण तैयार कर जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर को भेजा है जो कि स्वीकृत होने पर उन्हें सहायता राशि मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 29 आवास तैयार उन्हें घर की चाबी दे दी गई है।
- एससीसीसी डाटा 2011 में जो पात्र हितग्राही छूट गये थे 159 नामों की सूची स्वीकृति के लिए भेजी गई है।
- स्वीकृत होने पर उनके लिए भी आवास बनवाये जावेंगे।

समग्र स्वच्छता मिशन

- समग्र स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों को खुल में शौच प्रथा से मुक्त करवाये जाने का सफल प्रयास किया गया।

- परिणाम स्वरूप वे सभी ग्राम ओडीएफ हो गये हैं।
- हमारी ग्राम पंचायत में 160 व्यक्तिगत शौचालय बनवाये गये हैं।
- स्वच्छता को बनाये रखने के लिए हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छताकर्मी को नियुक्त किया गया है।
- सफाई कर्मी प्रतिदिन सड़कों और नालियों की साफ–सफाई करते हैं।

उज्जवला योजना

- उज्जवला योजना के अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में शत्–प्रतिशत अति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्रहियों जो कि 205 हैं।
- इन्हें गैस कनेक्शन दिये गये हैं।
- अब हम इस योजना में जो हितग्राही छूट गये हैं उन्हें गैस कनेक्शन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

स्व–सहायता समूह

- हमारी ग्राम पंचायत में 6 स्व–सहायता समूह चल रहे हैं।
- समूहों द्वारा बचत, बैठक, तेरह सूत्र का पालन किया जाता है।
- विशेष अवसरों पर हम उनकी बैठकों में जाती हैं।
- समूह की सदस्यों के लिए जरूरी प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते हैं।

डॉ संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य